

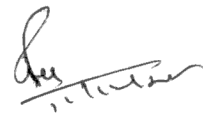
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक.....261...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11/12/2025

सुश्री ओशी जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज, जिला-रीवा (म0प्र0) के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण क्रमांक ई.एक्स.ए. 03/2017 रामप्रसाद पटेल बनाम नीलकण्ठ पटेल में डिक्रीत भूमि ग्राम गौरी तहसील हनुमना में स्थित होने एवं उक्त स्थान की क्षेत्रीय अधिकारिता हनुमना न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुश्री ओशी जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज, जिला-रीवा (म0प्र0) के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण क्रमांक ई.एक्स.ए. 03/2017 रामप्रसाद पटेल बनाम नीलकण्ठ पटेल को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री संदीप कुमार नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।



(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

o/c

पृष्ठांकन क्रमांक6222...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11/12/2025

प्रतिलिपि:-

1. सुश्री ओशी जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
 2. श्री संदीप कुमार नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश।
 3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा, जिला मऊगंज/हनुमना।
 4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
 5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)